राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1260/2011

हेमन्त प्रभाकर

–अपीलार्थी

बनाम

1. आयुक्त, वाणिज्यक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन), मुख्यालय जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 08.02.2024

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अभिभाषक

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 30.08.2011 (अनुलग्नक–4) को चुनौती दी थी एवं उक्त आदेश में इस सीमा तक संशोधन किये जाने की प्रार्थना की है कि चयनित वेतनमान का आदेश दिनांक 03.03.2000 से स्वीकृत न किया जाकर दिनांक 03.03.1998 से स्वीकृत किया जाए। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलर्थी को 18 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 03.03.1998 से देय था, परन्तु अपीलार्थी के विरूद्ध दो वार्षिक वेतन वृद्धिया असंचयी प्रभाव से रोके जाने के फलस्वरूप अपीलार्थी को द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ दो वर्ष आगे किया गया है, जो गलत है।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 03.03.1999 के अनुसार जितने वर्ष की वेतन वृद्धि रोकी गयी है, उतने वर्ष बाद ही चयनित वेतनमान स्वीकृत होगा, के अनुसरण में 18 वर्षीय चयनित वेतनमान 03.03.1998 के स्थान पर 03.03.2000 से स्वीकृत किया गया है।
3. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।
4. हमनें राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 26.07.2006 का अवलोकन किया। इस परिपत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि जहां पर दण्ड का प्रकार असंचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि को रोका जाना है वहां पर पदोन्नति पर प्रभाव इस प्रकार से होगा कि असंचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि रोकने के दण्डादेश हेतु एक बार पदोन्नति रोकी जाएगी। अतः उपरोक्त परिपत्र से स्पष्ट है कि इससे प्रभाव

नहीं पडेगा कि कितने वर्षो की असंचयी प्रभाव से वेतन वृद्धियां रोकी गयी है, बल्कि असंचयी प्रभाव के दण्डादेश से एक बार ही पदोन्नति रोकी जाएगी। अपीलार्थी के मामलें में जो दो वार्षिक वेतन वृद्धि को असंचयी प्रभाव से रोके जाने का एक ही आदेश पारित किया गया है, ऐसे में एक वर्ष तक ही पदोन्नति रोकी जाएगी। अतः अपीलार्थी के चयनित वेतनमान की स्वीकृति एक वर्ष तक रोकी जा सकती थी। आलोच्य आदेश के द्वारा अपीलार्थी का चयनित वेतनमान की स्वीकृति जो दो वर्ष आगे की गयी है, वह गलत है। चयनित वेतनमान की स्वीकृति केवल एक वर्ष के लिये आगे की जा सकती थी। ऐसे में हम पाते हैं कि अपीलार्थी को 18 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ गलत रूप से दिनांक 03.03.2000 से दिया गया है, जबकि वह लाभ दिनांक 03.03.1999 से दिया जाना चाहिए था। परिणामस्वरूप आलोच्य आदेश दिनांक 30.08.2011 अपास्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी को 18 वर्षीय द्वितीय चयनित वेतनमान/एसीपी दिनांक 03.03.1999 से स्वीकृत करें एवं अपीलार्थी को समस्त पारिणामिक लाभ भी प्रदान करें।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)